प्रारंभिक परीक्षा

ट्रम्प ने 'डिजिटल डॉलर' के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया

संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया है।**

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के बारे में -

- **यह राष्ट्रीय मुद्रा का एक डिजिटल रूप है, जो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और विनियमित किया जाता है, जो भौतिक नकदी और कानूनी निविदा(legal tender) के डिजिटल संस्करण का प्रतिनिधित्व करता है।**
- इसे कुछ चुनिंदा उपयोगकर्ताओं के लिए या किसी देश के विशिष्ट क्षेत्र के लिए भी प्रोग्राम किया जा सकता है।
- **CBDC के प्रकार** -
    - **खुदरा CBDC:** CBDC जिसका उपयोग लोग दिन-प्रतिदिन के लेनदेन के लिए कर सकते हैं।
    - **थोक CBDC:** CBDC जिसका उपयोग केवल वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक, एनबीएफसी आदि द्वारा किया जा सकता है।
- **CBDC के लाभ:**
    - स्वतन्त्र रूप से परिवर्तनीय।
    - निर्देशयोग्य(Programmable)।
    - विनिमयीय वैधानिक निविदा(Fungible Legal tender)।
    - प्रत्यक्ष द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय को सक्षम बनाता है।
- **RBI ने करेंसी नोटों का डिजिटल संस्करण ई-रुपी भी लॉन्च किया है।**
- CBDC आरबीआई की बैलेंस शीट पर एक देनदारी के रूप में दिखाई देता है।
- **वित्त अधिनियम 2022 ने आरबीआई अधिनियम में संशोधन किया, जिससे उसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी शुरू करने में सक्षम बनाया गया।**

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न: सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (2023)

(1) अमेरिकी डॉलर या स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है।

(2) डिजिटल मुद्रा को एक शर्त के साथ वितरित किया जा सकता है, जैसे कि उसे खर्च करने की समय-सीमा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (**c**)

स्रोत:

- द हिंदू - डिजिटल डॉलर

व्हिप प्रणाली की उत्पत्ति

संदर्भ

हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने पार्टी व्हिप के उपयोग की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि इससे सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगता है तथा पार्टी की दासता बढ़ती है।

व्हिप प्रणाली की उत्पत्ति -

- "व्हिप" शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड के शिकार क्षेत्रों से हुई है, जहां एक "व्हिपर-इन" भटके हुए शिकारी कुत्तों को झुंड में वापस लाता था।
- इस शब्द को बाद में एडमंड बर्क द्वारा राजनीति में अपनाया गया, जिन्होंने इसे राजा के मंत्रियों का समर्थन करने के लिए अनुयायियों को इकट्ठा करने के संदर्भ में संदर्भित किया।

भारत में व्हिप प्रणाली के बारे में -

- व्हिप प्रणाली देश की आजादी के बाद से ही भारत के संसदीय इतिहास का हिस्सा रही है।
- **इस पद का उल्लेख न तो सदन के नियमों में है और न ही संविधान में। इसकी उत्पत्ति संसदीय सम्मेलनों से हुई है। व्हिप को सचेतक भी कहा जाता है|**
- इनकी नियुक्ति संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा की जाती है।
- **कार्य:**
    - **व्हिप संसद में महत्वपूर्ण मतदान के दौरान उपस्थिति और पार्टी-लाइन मतदान सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से तब जब पार्टी के एजेंडे के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर मत विभाजन (मतगणना) होता है।**
    - व्हिप का उल्लंघन, विशेष रूप से सख्त थ्री-लाइन व्हिप का उल्लंघन, दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का कारण बन सकता है।
- **संसदीय कार्य मंत्री सरकार का मुख्य व्हिप(सचेतक) होता है।**

व्हिप के प्रकार

- **वन-लाइन व्हिप:** सांसदों को मतदान के बारे में सूचित करता है, लेकिन मतदान से दूर रहने की अनुमति देता है।
- **टू- लाइन व्हिप**: सांसदों को उपस्थित रहने का निर्देश देता है, लेकिन वोट कैसे देना है, इस बारे में निर्देश नहीं देता।
- **थ्री-लाइन व्हिप**: सांसदों को उपस्थित रहना होता है और पार्टी लाइन के अनुसार ही वोट करना होता है। यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला व्हिप है और इसका सबसे सख्त पालन होता है।

वैश्विक प्रथाएँ

- **यूनाइटेड किंगडम (यू.के.):** यू.के. में, थ्री-लाइन व्हिप का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है; हालाँकि, सदस्य तब तक संसद के स्वतंत्र सदस्य के रूप में सेवा करना जारी रख सकता है जब तक कि पार्टी उसे वापस स्वीकार नहीं कर लेती।

स्रोत: [Indian Express - Origins of Whip system]

मल्टी-यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट(MULE)

संदर्भ

भारतीय सेना ने कोलकाता में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान रोबोटिक म्यूल (Multi-Utility Legged Equipment) का प्रदर्शन किया।

रोबोटिक म्यूल क्या हैं?

- **यह चार पैरों वाला, रिमोट नियंत्रित ग्राउंड रोबोट है जिसे विभिन्न इलाकों में सैन्य अभियानों में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है।**
- **नियंत्रण:** म्यूल को रिमोट कंट्रोल द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसे वाई-फाई या लॉन्ग-टर्म इवोल्यूशन(LTE) का उपयोग करके संचालित किया जा सकता है।
- **विशेषताएँ:**
    - इसकी **पेलोड क्षमता 12 किलोग्राम** है।
    - **यह -20°C से +45°C तक के तापमान में काम कर सकता है**, और इसकी बैटरी लाइफ कम से कम तीन घंटे की है।
    - यह सीढ़ियों और खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ सकता है तथा बर्फ से ढकी जमीन और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों पर भी चल सकता है।
    - इसमें वस्तुओं को पहचानने में सहायता के लिए **इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स** और **इन्फ्रारेड** भी हैं।
- **उपयोग**
    - **म्यूल से सीमावर्ती सैनिकों तक छोटे-मोटे सामान पहुंचाए जा सकते हैं तथा पहाड़ी क्षेत्रों में निगरानी के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है।**
    - दुश्मनों से निपटने के लिए इसे छोटे हथियारों से भी लैस किया जा सकता है।

स्रोत: **The Hindu - Mules**

संजय - युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने एक उन्नत **युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली (BSS) संजय** को लॉन्च किया।

संजय के बारे में -

- **संजय युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली (BSS) भारत द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी है, जिसका उद्देश्य युद्धक्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना तथा युद्ध संचालन के दौरान निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना है।**
- **विकास:** भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित
- **प्रमुख विशेषताऐं:**
    - **बहु-सेंसर एकीकरण**: यह विभिन्न सेंसरों से डेटा को एकीकृत करता है, जिनमें शामिल हैं: ग्राउंड-आधारित रडार, ड्रोन और यूएवी, थर्मल इमेजर और इलेक्ट्रो-ऑप्टिक सिस्टम।
    - **वास्तविक समय में सूचना साझा करना**: डेटा को तुरंत कमांड सेंटरों और क्षेत्र में सैनिकों के साथ साझा किया जाता है, जिससे तेजी से निर्णय लेने में मदद मिलती है।
    - **भूभाग अनुकूलनशीलता**: पहाड़ों, रेगिस्तानों और वन क्षेत्रों सहित विविध भूभागों में प्रभावी, भारत की सामरिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण।
    - **उच्च तकनीक निगरानी**: इसमें उन्नत इमेजिंग, ट्रैकिंग और डेटा प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

स्रोत: DD News - advanced Battlefield Surveillance System 'SANJAY

अमेरिका और भारत में जन्मजात नागरिकता

संदर्भ

हाल ही में एक **संघीय न्यायाधीश ने** राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकारी आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया, जिसमें अमेरिका में जन्मजात नागरिकता को सीमित करने का प्रयास किया गया था।

अमेरिका में जन्मजात नागरिकता की उत्पत्ति -

- **अमेरिकी स्वतंत्रता (1776**) के समय, नागरिकता बड़े पैमाने पर राज्य कानूनों द्वारा शासित होती थी। आम धारणा थी कि अमेरिकी क्षेत्र के भीतर पैदा हुए लोगों को नागरिकता दी जा सकती है।
- **मूल अमेरिकी संविधान ने अनुच्छेद-2** में "प्राकृतिक रूप से जन्मे नागरिकों" को मान्यता दी थी, हालांकि इसमें इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था। इसमें संभवतः जूस सोलि (जन्मजात नागरिकता) और जूस सेंगुइनिस (अमेरिकी माता-पिता के माध्यम से नागरिकता) दोनों शामिल थी।
- **14वां संशोधन - 1866:** इसमें स्पष्ट किया गया कि "इसने स्पष्ट किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या देशीयकृत और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन सभी व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं जहां वे रहते हैं।"

भारत में जन्मजात नागरिकता

- **संविधान सभा की बहस:** भारतीय संविधान बनाते समय इस बात पर बहस हुई थी कि जन्मजात नागरिकता प्रदान की जाए या नहीं।
    - **पी.एस. देशमुख ने** इसके खिलाफ तर्क दिया तथा दावा किया कि इससे भारतीय नागरिकता प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा, जबकि **बी.आर. अंबेडकर और सरदार वल्लभभाई पटेल ने जन्मजात नागरिकता का समर्थन किया।**
- **संविधान (1950)**: संविधान के **अनुच्छेद-5 में** कहा गया है कि **संविधान लागू होने से पहले पैदा हुए सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक हैं। इसने नागरिकता के लिए सार्वभौमिक जन्मजात अधिकार की स्थापना नहीं की।**

नागरिकता अधिनियम 1955 और संशोधन

- **प्रारंभिक प्रावधान (1955)**: **नागरिकता अधिनियम 1955 ने धारा 3** के तहत **26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मे सभी व्यक्तियों को जन्मजात नागरिकता प्रदान की, विदेशी राजनयिकों या शत्रु विदेशियों से जन्मे बच्चों को छोड़कर।**
- **संशोधन (1986)**: 1986 के संशोधन ने जन्मजात नागरिकता को प्रतिबंधित कर दिया, जिसके अनुसार **बच्चे को स्वतः भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम माता-पिता में से एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक था।** इस परिवर्तन ने बांग्लादेश, श्रीलंका और अन्य क्षेत्रों से आने वाले प्रवासियों को लक्षित किया।
- **अतिरिक्त संशोधन (2003)**: **2003 के संशोधन में** एक प्रावधान जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि **भारत में अवैध अप्रवासी माता-पिता से जन्मे बच्चों को जन्म के समय भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी।**

स्रोत: **Indian Express - US birthright citizenship**

पैराक्वाट(Paraquat)

संदर्भ

हाल ही में, तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने 24 वर्षीय एक महिला को अपने प्रेमी को पैराक्वाट नामक रासायनिक शाकनाशी से जहर देने का दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई।

पैराक्वाट के बारे में -

- **पैराक्वाट, जिसे पैराक्वाट डाइक्लोराइड या मिथाइल वायोलोजेन के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले शाकनाशियों(herbicides) में से एक है।**
- **प्राथमिक उपयोग**: इसका उपयोग **खरपतवारों को नियंत्रित करने** और **कटाई से पहले कपास जैसी फसलों को सुखाने के लिए किया जाता है।**
- **खतरा वर्गीकरण**: **विश्व स्वास्थ्य संगठन** पैराक्वाट को **श्रेणी 2** (मध्यम खतरनाक और परेशान करने वाला) रसायन के रूप में वर्गीकृत करता है।
- **वैश्विक प्रतिबंध**: पैराक्वाट को इसकी उच्च विषाक्तता के कारण **चीन** और **यूरोपीय संघ** सहित **70 से अधिक देशों में प्रतिबंधित किया गया है।**
- **जोखिम के मार्ग:**
    - **अंतर्ग्रहण**: गलती से निगल जाना।
    - **त्वचा संपर्क**: लंबे समय तक त्वचा संपर्क।
    - **साँस लेना**
- **पैराक्वाट विषाक्तता का उपचार:**
    - पैराक्वाट विषाक्तता के लिए कोई विशिष्ट प्रतिविष औषधि ज्ञात नहीं है।
    - **तत्काल कार्रवाई**: **CDC** रसायन को अवशोषित करने के लिए सक्रिय चारकोल या मुल्तानी मिट्टी निगलने की सिफारिश करता है।
    - इम्यूनोसप्रेशन या चारकोल हेमोपरफ्यूजन - संभावित अस्पताल उपचार

स्रोत: **Indian Express - Paraquat**

ट्रम्प ग्रीनलैंड क्यों चाहते हैं?

संदर्भ

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने स्वतंत्र विश्व की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड का अधिग्रहण करने में रुचि व्यक्त की और कहा कि यदि डेनमार्क इसकी अनुमति नहीं देता है तो यह एक अमित्र कार्य होगा।

ग्रीनलैंड में ट्रम्प की रुचि के पीछे कारण -

- **सामरिक सुरक्षा: यूरोप से निकटता**, जिससे अमेरिका को रूस और चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद मिलेगी। **ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए "एक परम आवश्यकता" बताया है।**
- **आर्कटिक व्यापार मार्ग: ग्रीनलैंड आर्कटिक सागर के छोटे शिपिंग मार्ग पर स्थित है।** जलवायु परिवर्तन इस मार्ग के सामरिक महत्व को बढ़ा सकता है, **जिससे पनामा नहर पर निर्भरता कम हो सकती है।**
- **खनिज संसाधन: ग्रीनलैंड में तांबा, लिथियम और कोबाल्ट के भंडार हैं**, जो इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी और अन्य प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक हैं।
- **चीन की भूमिका**:
    - **चीनी उपस्थिति:** चीन ग्रीनलैंड में खनन और बुनियादी ढांचे के विकास में शामिल रहा है, **इसके खनिज क्षेत्र में 11% निवेश उसके पास है। इससे आर्कटिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर अमेरिका में चिंता बढ़ गई है।**
    - **ध्रुवीय रेशम मार्ग**: चीन की **बेल्ट एंड रोड पहल ध्रुवीय रेशम मार्ग** के माध्यम से ग्रीनलैंड तक विस्तारित हो गई है।

ग्रीनलैंड में अमेरिकी रुचि का ऐतिहासिक संदर्भ

- अमेरिका ने 1940 के दशक से ही ग्रीनलैंड में रुचि दिखाई है, जो शुरुआत में द्वितीय विश्व युद्ध की सुरक्षा चिंताओं से प्रेरित थी।
- 1946 में अमेरिका ने आर्कटिक में सोवियत प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव रखा।
- हालाँकि डेनमार्क ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद के समझौतों ने अमेरिका को द्वीप पर सैन्य अड्डे स्थापित करने की अनुमति दे दी, जिससे इसके रणनीतिक महत्व पर जोर दिया गया।

ग्रीनलैंड के बारे में -

- **स्थान: आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों के बीच। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है।**
- **वर्तमान में यह डेनमार्क साम्राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्त क्षेत्र है।**
- इसकी सतह का तीन-चौथाई भाग स्थायी रूप से बर्फ से ढका हुआ है।
- **यहां प्रमुख रूप से इनुइट समुदाय का निवास है।**

स्रोत: **Indian Express - Greenland**

समाचार संक्षेप में

डायनासोर सबसे पहले कहां दिखाई दिए?

- **करेंट बायोलॉजी** में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में डायनासोर के उद्भव के लिए एक आश्चर्यजनक नए स्थान का प्रस्ताव दिया गया है।
- **यह शोध डायनासोर के जन्मस्थान का पता लगाने के लिए ट्राइऐसिक काल के दौरान जीवाश्म रिकॉर्ड, विकासवादी संबंधों और पृथ्वी के भूगोल की जांच करता है।**

डायनासोर का प्रभुत्व -

- डायनासोर ने विविध रूपों के साथ लाखों वर्षों तक पृथ्वी के स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा:
    - **पौधे खाने वाले विशालकाय जीव:** अर्जेंटीनोसॉरस
    - **मांसाहारी शिकारी:** टायरानोसॉरस
    - **असामान्य प्रजाति:** थेरिज़िनोसॉरस, जो अपने वूल्वरिन जैसे पंजों के लिए जाना जाता है।
- उनके प्रभुत्व के बावजूद, उनकी उत्पत्ति का सही समय और स्थान अनिश्चित है।

डायनासोर की उत्पत्ति के लिए प्रस्तावित स्थान

- **शोधकर्ताओं का सुझाव है कि डायनासोर की उत्पत्ति संभवतः उन क्षेत्रों में हुई थी जिनमें आज सहारा रेगिस्तान और अमेज़न वर्षावन शामिल हैं।**
- ये क्षेत्र अब प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण हजारों किलोमीटर और अटलांटिक महासागर से अलग हो गए हैं, लेकिन कभी ये सुपरकॉन्टिनेंट पैंजिया के दक्षिणी भाग गोंडवाना का हिस्सा थे।
- **ऐसा माना जाता है कि डायनासोर का उद्भव 245-230 मिलियन वर्ष पहले ट्राइसिक काल के दौरान हुआ था।**

स्रोत: **The Hindu - Where did dinosaur first appear**

गिलियन-बैरे सिंड्रोम(GBS)

- **GBS एक दुर्लभ तंत्रिका संबंधी विकार है, जो तब होता है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली परिधीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है।**
- **इससे मांसपेशियों में कमज़ोरी, झुनझुनी और कभी-कभी लकवा भी हो सकता है।**
- **कारण:** GBS का सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन यह अक्सर संक्रमण से पहले होता है। यह जीवाणु या वायरल संक्रमण हो सकता है। **इससे प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर पर ही हमला करने लगती है।**
    - **दुर्लभ मामलों में, यह टीकाकरण के कारण हो सकता है।**
- **उपचार: GBS उपचार में प्लास्मफेरेसिस** जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें प्लाज्मा को हटाकर उसकी जगह अन्य तरल पदार्थ डाल दिए जाते हैं।

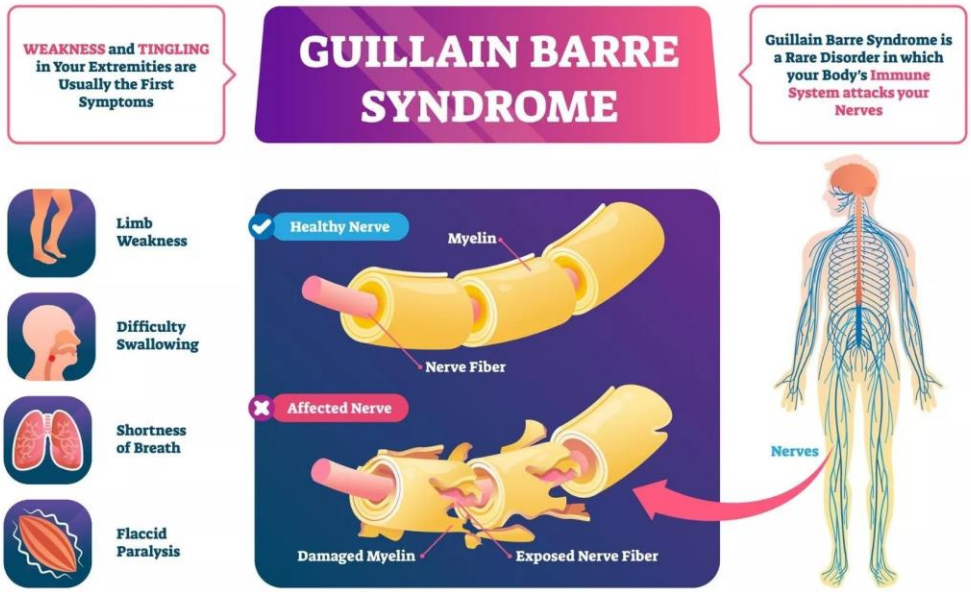

स्रोत: [Indian Express - GBS]

कोडाइकनाल सौर वेधशाला - भारत में सौर भौतिकी अनुसंधान के 125 वर्ष

- **कोडाइकनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) द्वारा 'सूर्य, अंतरिक्ष मौसम और सौर-तारकीय कनेक्शन' पर सम्मेलन आयोजित किया गया था।**
- इसकी **स्थापना 1899 में** हुई थी और इसका **संचालन भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा** किया जाता है।
- **यह कोडाइकनाल, पलानी पहाड़ियों (तमिलनाडु) में स्थित है।**
- इसकी स्थापना इस बारे में अधिक डेटा प्राप्त करने के लिए की गई थी कि सूर्य पृथ्वी के वायुमंडल को कैसे गर्म करता है और मानसून पैटर्न को समझने के लिए।

स्रोत: [PIB - 125 years of solar physics research in India]

पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने सिक्किम में नये बांध को मंजूरी दी

- **तीस्ता-III जल विद्युत परियोजना के रॉकफिल कंक्रीट बांध को बदलने के लिए सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड द्वारा एक नया 118.64-मीटर ऊंचा कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध प्रस्तावित किया गया है, जो अक्टूबर 2023 में एक हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) के दौरान नष्ट हो गया था।**
- पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने बांध की सुरक्षा के बारे में चिंताओं और बांध के डिजाइन के लिए अनुमोदन की कमी के बावजूद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

- **अनुमोदन की शर्तें:** प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई, जैसे कि पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करना, हिमनद झीलों का मानचित्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि बांध का डिजाइन केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) जैसे प्रासंगिक प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित हो।

GLOF घटना - अक्टूबर 2023

- **सिक्किम में दक्षिण ल्होनक हिमनद झील के फटने से भारी बाढ़ आई, जिससे 40 लोगों की जान चली गई और तीस्ता-III चुंगथांग बांध बह गया।**
- बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव ने भविष्य में होने वाली GLOF घटनाओं को झेलने की नए बांध की क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

स्रोत: **Indian Express - New Sikkim Dam**

संपादकीय सारांश

ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए उम्मीदें

संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प का शपथग्रहण वैश्विक भू-राजनीति, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण का संकेत है।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी

- शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका के प्रमुख क्वाड साझेदारों भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की उपस्थिति ट्रम्प की विदेश नीति के दृष्टिकोण में इस समूह के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करती है।

पहला कार्यकाल: हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर ट्रम्प का रुख

- **'हिंद-प्रशांत' शब्द को अपनाना:**
    - **शब्दावली में बदलाव: ट्रम्प प्रशासन ने 'एशिया-प्रशांत' शब्द के स्थान पर 'हिंद-प्रशांत' शब्द का प्रयोग किया,** तथा रणनीतिक फोकस का विस्तार करते हुए हिंद महासागर को भी इसमें शामिल कर लिया।

    - **भू-राजनीतिक पुनर्संयोजन:** इसमें वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण व्यापक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया गया, जिसका उद्देश्य चीन के प्रभाव का मुकाबला करना था।
    - **फोकस क्षेत्र:** समुद्री संचार लाइनों को सुरक्षित करने, समुद्री चुनौतियों का समाधान करने तथा आर्थिक सहयोग के साथ-साथ रक्षा, सुरक्षा और राजनीतिक विचारों को एकीकृत करने पर जोर दिया गया।
- **अमेरिकी रक्षा रणनीति में संरचनात्मक परिवर्तन:**
    - **कमान का पुनः नामकरण:** क्षेत्र के परिचालन महत्व को रेखांकित करते हुए **2018 में अमेरिकी प्रशांत कमान का नाम बदलकर अमेरिकी हिंद-प्रशांत कमान कर दिया गया।**
    - **विशिष्ट इकाइयाँ:** रक्षा सचिव कार्यालय के भीतर स्थापित इकाइयाँ, जिनका उद्देश्य भारत-प्रशांत सहयोगियों के साथ साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करना है।
- **क्वाड गठबंधन का पुनरुद्धार:**
    - **क्वाड की मान्यता:** ट्रम्प ने हिंद-प्रशांत को 21वीं सदी की भू-राजनीति की धुरी के रूप में पहचाना, तथा भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड साझेदारी को मजबूत किया।
    - **संस्थागतकरण:** क्वाड वार्ता को मंत्रिस्तरीय स्तर तक बढ़ाया गया, जिसमें निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया गया:
        - समुद्री सुरक्षा
        - आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन
        - तकनीकी मानक

जो बाईडेन के अधीन विरासत और निरंतरता

- **बाईडेन का दृष्टिकोण:** ट्रम्प के तहत विकसित हिंद-प्रशांत ढांचे को बाईडेन प्रशासन द्वारा विरासत में प्राप्त किया गया और उसका विस्तार किया गया।
    - **प्रथम क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन (2021):** सहयोग को गहरा करने के लिए आयोजित किया गया।
    - **हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा (2022):** आर्थिक जुड़ाव के साथ रणनीतिक फोकस को पूरक बनाया गया।
    - **व्यापक एजेंडा:** इसमें टीके, जलवायु परिवर्तन, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है।
    - **जोर:** बहुपक्षवाद और नियम-आधारित व्यवस्था ने क्वाड के मिशन को वैश्विक शासन लक्ष्यों के साथ संरेखित किया।

ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल की उम्मीदें: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख संभावनाएं

- **चीन पर मुखर रुख:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अधिक सशक्त कठोर रुख अपनाने की संभावना है।
    - अपने अनुमोदन संबंधी सुनवाई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने चीन को अमेरिका का "सबसे दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी" बताया।
- **मजबूत हुआ क्वाड सहयोग:**
    - **क्वाड की उद्घाटन बैठक:** भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने ट्रम्प के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया, जो उनकी विदेश नीति के दृष्टिकोण में क्वाड के महत्व को दर्शाता है।
    - **पहली बड़ी पहल: 21 जनवरी, 2025** को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिंद-प्रशांत के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।
    - **मुख्य परिणाम:**
        - अंतर्राष्ट्रीय कानून, शांति, स्थिरता और समुद्री सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता।
        - बल प्रयोग के माध्यम से यथास्थिति को बदलने वाली एकतरफा कार्रवाइयों का विरोध।
        - लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और तकनीकी सुरक्षा पर जोर।
        - नियमित मंत्रिस्तरीय बैठकों और भारत द्वारा आयोजित क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की तैयारी पर सहमति।
- **रक्षा और हार्ड पावर डायनेमिक्स पर ध्यान:** क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा ढांचे को बढ़ावा देने की उम्मीद है।
    - उभरते खतरों से निपटने के दौरान समुद्री और तकनीकी सुरक्षा को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है।
- **मित्र राष्ट्रों के बीच साझा जिम्मेदारी:** क्षेत्रीय सुरक्षा का भार साझा करने के लिए **भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया** पर निर्भरता।
    - द्विपक्षीय बैठकें, जिसमें भारत नये प्रशासन के साथ जुड़ने वाला पहला साझेदार होगा।
- **नियम-आधारित व्यवस्था का संरक्षण:** ट्रम्प प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वह नियम-आधारित व्यवस्था और क्षेत्रीय समृद्धि को बनाए रखने के लिए कठोर शक्ति रणनीतियों को व्यापक तंत्र के साथ संतुलित करेगा।

स्रोत: [The Hindu: An enduring commitment to the Indo-Pacific]

क्या राज्यपालों को राज्य विश्वविद्यालयों का प्रमुख होना चाहिए?

संदर्भ

औपनिवेशिक युग की प्रथाओं में निहित **राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में राज्यपाल की भूमिका पर बहस छिड़ गई है।**

राज्यपाल का ऐतिहासिक संदर्भ और भूमिका

औपनिवेशिक विरासत

- **राज्यपाल का चांसलर के रूप में पद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से विरासत में मिला था, जिसकी स्थापना 1857 में हुई थी जब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में पहले तीन विश्वविद्यालय बनाए गए थे। इन संस्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए राज्यपालों को पदेन चांसलर(कुलाधिपति) के रूप में नियुक्त किया जाता था।**
- इस मॉडल का उद्देश्य विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को बढ़ावा देने के बजाय उसे प्रतिबंधित करना था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी विरासत पैदा हुई जो आज भी भारत में विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रभावित कर रही है।

भूमिका का विकास

- 1947 से 1967 तक कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कारण राज्यपालों की नियुक्ति काफी हद तक औपचारिक थी। हालांकि, 1967 के बाद, जब विभिन्न राज्यों में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के अलावा अन्य दलों का शासन होने लगा, तो राज्यपाल तेजी से केंद्र सरकार के राजनीतिक साधन बन गए।

What is the Role of the Chancellor in Public Universities?

State public universities are established through laws passed by state legislatures, with the Governor typically designated as the Chancellor.

The Chancellor serves as the head of public universities and is responsible for appointing the Vice-Chancellor.

The Chancellor has the authority to declare any university proceedings invalid if they do not comply with existing laws.

In certain states, such as Bihar, Gujarat, and Jharkhand, the Chancellor is empowered to conduct inspections within the university.

The Chancellor presides over university convocations and confirms proposals for awarding honorary degrees.

In Telangana, the Chancellor is appointed by the state government, differing from the typical model.

The Chancellor leads meetings of various university bodies, including the Court/Senate, which address general policy matters related to university development.

The Court/Senate decides on key issues such as establishing new departments, conferring or withdrawing degrees and titles, and instituting fellowships.

वर्तमान मॉडल से जुड़ी चुनौतियाँ

- **पद का राजनीतिकरण: प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-77)** ने राज्यपाल के पद के राजनीतिकरण की आलोचना की, तथा कहा कि कई राज्यपालों की नियुक्ति योग्यता के बजाय राजनीतिक निष्ठा के आधार पर की गई थी।
    - प्रोफेसर अशोक पंकज (1950-2015) द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि 52% राज्यपाल राजनेता थे, 26% सेवानिवृत्त नौकरशाह थे, और केवल 22% अकादमिक या न्यायपालिका पृष्ठभूमि से थे।
- **दोहरी सत्ता के मुद्दे:** राज्यपाल बिना किसी जवाबदेही के महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण विश्वविद्यालय नेतृत्व और राज्य सरकारों के बीच टकराव होता है।
    - राष्ट्रपति के विपरीत, जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के लिए शिक्षा मंत्रालय से परामर्श करते हैं, राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के लिए एकतरफा कार्य करते हैं।
    - केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रत्यायोजित विधेयक संसद के समक्ष रखे जाते हैं; राज्य विश्वविद्यालयों के कानूनों में ऐसी निगरानी का अभाव होता है, जिसके कारण राज्यपालों द्वारा एकतरफा निर्णय लिए जाते हैं।
    - यह दोहरी सत्ता प्रशासनिक निष्क्रियता उत्पन्न करती है, विशेषकर चांसलर की नियुक्ति और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में।
- **विशेषज्ञता का अभाव**: कई राज्यपालों में शैक्षणिक योग्यता या अनुभव का अभाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप अपारदर्शी और संदिग्ध निर्णय होते हैं।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप**: राज्यपाल केंद्र के राजनीतिक एजेंडे को प्राथमिकता देते हैं, जिससे स्वायत्तता और संघवाद कमजोर होता है।

आयोगों से प्राप्त जानकारी

- **राजमन्नार समिति (1969-71)**: सुझाव दिया गया कि राज्यपाल अपनी वैधानिक भूमिकाओं में भी राज्य सरकारों की सलाह पर कार्य करें।
- **सरकारिया आयोग (1983-88)**: सिफारिश की गई कि राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय बरकरार रखते हुए मुख्यमंत्रियों से परामर्श करें।
- **संविधान की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2000-02)**: राजनीतिक तटस्थता, अधिक स्वायत्तता और चांसलर के लिए आधिकारिक की बजाय सहायक भूमिकाओं की वकालत की गई।
- **एम.एम. पुंछी आयोग (2007-10)**: सुझाव दिया गया कि राज्य अकादमिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षाविदों या विशेषज्ञों को चांसलर नियुक्त करें।

प्रस्तावित सुधार मॉडल

- **राज्यपाल औपचारिक चांसलर के रूप में**: गुजरात (1978), कर्नाटक (2000), और महाराष्ट्र (2021) ने राज्यपालों को राज्य सरकार की सलाह पर कार्य करने की आवश्यकता वाले बदलाव अपनाए।
- **मुख्यमंत्री चांसलर के रूप में**: पश्चिम बंगाल और पंजाब (2023) और तमिलनाडु (2022) में पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
- **राज्य-नियुक्त चांसलर**: तेलंगाना (2015) और केरल (2022) ने औपचारिक चांसलर नियुक्त करने वाले विधेयक पारित किए, जो प्रख्यात शिक्षाविद या सार्वजनिक हस्तियाँ हैं।
- **विश्वविद्यालय निकायों द्वारा चांसलर का चुनाव**: ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से प्रेरित, जहां विश्वविद्यालय निकाय या पूर्व छात्र औपचारिक चांसलर का चुनाव करते हैं।
- **कार्यकारी परिषद द्वारा चांसलर की नियुक्ति**: मैकगिल विश्वविद्यालय (कनाडा) और मेलबर्न विश्वविद्यालय (ऑस्ट्रेलिया) जैसे वैश्विक उदाहरण पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से औपचारिक चांसलर की नियुक्ति करते हैं।

स्रोत: [The Hindu: Should Governors head State universities?]

विस्तृत कवरेज

मनरेगा के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं, मजदूरी में देरी

संदर्भ

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) को 2024-25 में बजट की कमी का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई अतिरिक्त आवंटन प्रदान नहीं किया गया, जिससे श्रमिकों के लिए मजदूरी वितरण में देरी हुई।

मनरेगा के बारे में -

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के लिए विधायी आधार के रूप में कार्य करता है।**
- **लॉन्च**: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2005
- **प्रमुख विशेषताऐं:**
    - **प्रत्येक परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हों, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीशुदा वेतन रोजगार प्रदान करना।**
    - काम आवंटित न होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।
    - यह योजना केंद्र सरकार (100% मजदूरी) और साझा सामग्री लागत (60% केंद्र, 40% राज्य) द्वारा वित्त पोषित है।
    - **इसका उद्देश्य गरीबों के लिए उपलब्ध आर्थिक संसाधनों में सुधार करना है।**
    - सक्रिय रूप से सभी सामाजिक वर्गों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
    - पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की भूमिका और क्षमताओं को मजबूत करता है।

प्रावधान और विनियमन

- **धारा 3(3):** दैनिक मजदूरी का संवितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी स्थिति में कार्य किए जाने की तारीख से पखवाड़े के भीतर किया जाएगा।
- **मनरेगा की धारा 7(1):** यह एक **कानूनी गारंटी है**, जो सुनिश्चित करती है कि **कोई भी ग्रामीण वयस्क काम का अनुरोध कर सकता है** और **उसे 15 दिनों के भीतर काम मिलना चाहिए**।
    - यदि यह **प्रतिबद्धता पूरी नहीं होती है** तो "**बेरोजगारी भत्ता**" प्रदान किया जाना चाहिए।
- **मनरेगा की धारा 17:** इसके तहत ग्राम सभाओं को कार्य निष्पादन की निगरानी करनी होगी, जिससे सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए कानूनी आधार स्थापित होगा।
- **मनरेगा की लेखापरीक्षा के लिए 2011 नियम: भारत के सीएजी के सहयोग से विकसित, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं स्थापित करते हैं और सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एसएयू)**, राज्य सरकारों और मनरेगा क्षेत्र कार्यकर्ताओं जैसी संस्थाओं के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करते हैं।
    - **सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयां** मनरेगा कार्यान्वयन एजेंसियों से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, जिससे निष्पक्ष मूल्यांकन की गारंटी मिलती है, और **इन्हें राज्य के पिछले वर्ष के मनरेगा व्यय के 0.5% से वित्त पोषित किया जाता है**।

मनरेगा के लाभ

- **ग्रामीण आय संवर्धन:** यह योजना महत्वपूर्ण रोजगार अवसर प्रदान करती है, विशेष रूप से ऑफ-सीजन में, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू आय में वृद्धि होती है।
    - **उदाहरण के लिए,** बिहार के सराय जैसे गांवों में मनरेगा ने स्थानीय आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है, विशेषकर गैर-कृषि अवधि में।

- **ग्रामीण-शहरी प्रवास में कमी लाना**: स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर, मनरेगा ग्रामीण निवासियों को काम के लिए शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने की आवश्यकता को कम करता है।
    - **उदाहरण के लिए**, उत्तर प्रदेश के नीमका में इस योजना से आर्थिक-प्रेरित प्रवासन में कमी आई है तथा स्थानीय जीवन-स्थितियों में सुधार हुआ है।
- **महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता:** इसमें महिलाओं की श्रम भागीदारी और महिलाओं को प्रत्यक्ष वेतन भुगतान का अधिदेश दिया गया है।
    - **उदाहरण के लिए,** कुदुम्बश्री (केरल) में, कार्यक्रम के कारण महिलाओं के नेतृत्व में महत्वपूर्ण पहलों का गठन हुआ है।
- **आर्थिक झटकों से बचाव**: यह योजना कोविड-19 महामारी जैसे संकट के दौरान जीवन रेखा की तरह रही है, जिससे जरूरतमंद लोगों को आवश्यक रोजगार उपलब्ध हुआ है।
- **सामुदायिक परिसंपत्ति विकास:** मनरेगा सामुदायिक परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार और निर्माण, विशेषकर जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
    - **उदाहरण के लिए,** हिमाचल प्रदेश में कुल जैसी पारंपरिक सिंचाई प्रणालियों की बहाली, जिसने स्थानीय कृषि को पुनर्जीवित किया है।
- **पर्यावरण पुनर्स्थापन:** यह कार्यक्रम वनरोपण और मृदा संरक्षण जैसे पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में योगदान देता है।
    - **उदाहरण के लिए,** पश्चिम बंगाल के सुंदरबन जैसे क्षेत्रों में, मनरेगा मैंग्रोव वृक्षारोपण और मृदा अपरदन नियंत्रण में सहायक रहा है।
- **स्थानीय बुनियादी ढांचे में सुधार**: कृषि सहायता के अलावा, मनरेगा ने सड़कों और सार्वजनिक भवनों जैसे बुनियादी ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास को भी सुगम बनाया है।
    - **उदाहरण के लिए**, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में इस योजना से कनेक्टिविटी और सुविधाओं तक पहुंच में काफी सुधार हुआ है।
- **कौशल विकास:** ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में, मनरेगा ने पारंपरिक कलाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिससे आजीविका में वृद्धि के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी सहायता मिली है।

इससे जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- **बेरोजगारी भत्ते का अपर्याप्त वितरण:** वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी भत्ते के रूप में केवल ₹90,000 जारी किए गए, जो 2022-23 में ₹7.8 लाख से काफी कम है।
    - यह भारी कमी रोजगार की मांग पूरी न होने पर श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के योजना के उद्देश्य को पूरा करने में विफलता को दर्शाती है।
- **नागरिक समाज संगठन लिबटेक इंडिया और नरेगा संघर्ष मोर्चा की रिपोर्ट**:
    - **खाता हटाना**: आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के अंतर्गत जॉब कार्ड को आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ने से कई श्रमिकों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े:
        - **उदाहरण के लिए,** आधार लिंकिंग आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के कारण अकेले अप्रैल और सितंबर 2024 के बीच लगभग 39 लाख श्रमिकों को एमजीएनआरईजीएस रोल से हटा दिया गया।
    - **भुगतान में देरी**: लगभग 67 मिलियन श्रमिकों को अप्रैल 2024 से वेतन नहीं मिला है, जिसका मुख्य कारण आधार लिंकिंग प्रक्रिया से उत्पन्न समस्याएं हैं।
- **कम बजट आवंटन प्रवृत्ति:** 2024-25 के लिए 86,000 करोड़ रुपये का आवंटन मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था, जो पिछले रुझानों से बदलाव को दर्शाता है, जहां आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धन आवंटित किया जाता था।
    - **उदाहरण के लिए,** 2020-21 में महामारी के दौरान, आवंटन ₹61,500 करोड़ से बढ़कर ₹1,11,500 करोड़ हो गया, जो मांग के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

- **न्यूनतम मजदूरी निर्धारण: ग्रामीण विकास मंत्रालय** के एक पैनल ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वर्तमान में **कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) से जुड़ा यह सूचकांक**, योजना के तहत किए जाने वाले कार्य की विविध प्रकृति को ध्यान में रखने में विफल रहता है।

तथ्य

- जनवरी 2023 में, केंद्र ने उपस्थिति दर्ज करने और वेतन के भुगतान के लिए क्रमशः राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (जिसे 2021 में पेश किया गया था) और आधार आधारित भुगतान प्रणाली (2017 में शुरू की गई एबीपीएस) के अनिवार्य उपयोग पर जोर दिया।

मनरेगा योजना को मजबूत करने के लिए कदम

- **बजट आवंटन में वृद्धि**: समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने, ग्रामीण रोजगार की बढ़ती मांग को पूरा करने और श्रमिकों की गरिमा और आजीविका की रक्षा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करें।
- **डिजिटल प्रणालियों को उन्नत करना:** तकनीकी समस्याओं के समाधान, बुनियादी ढांचे में सुधार, तथा विशेष रूप से ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपयोगकर्ता-मित्रता सुनिश्चित करने के लिए एबीपीएस जैसे डिजिटल उपकरणों की समीक्षा और उन्नयन करना।
- **जवाबदेही तंत्र में सुधार:** देरी को दूर करने के लिए तंत्र को मजबूत करना, मनरेगा प्रावधानों के अनुसार समय पर मुआवजा लागू करना, तथा रिपोर्टिंग, निगरानी और शिकायत निवारण प्रणालियों को बढ़ाना।
- **न्यूनतम मजदूरी निर्धारण पर स्विच करना:** उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण (CPI-R) पर स्विच करें, क्योंकि यह अधिक अद्यतन है और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी उच्च लागतों पर विचार करता है।
- **समानता के लिए सुधार लागू करना:** पारदर्शी और कुशल वेतन वितरण सुनिश्चित करने, जाति-आधारित असमानताओं को समाप्त करने और सभी श्रमिकों के लिए निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सुधार लागू करना।

स्रोत: **The Hindu: No additional funds for MGNREGS; wages delayed**
The Hindu: Only ₹90,000 released as 'unemployment allowance' in FY 24 under MGNREGS
DTE: MGNREGS: Millions affected as Aadhar linking woes result in rural workers' account deletion, payment delays
The Print: 8 crore MGNREGS workers deleted in 2 yrs. Centre's Budget cuts, tech push to blame — NGO report